संख्याः 4117/VII-2/171–उद्योग/2006

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 05 सितम्बर, 2007

विषयः वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान तथा ट्राईबल सब प्लान के अधीन धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 882/बजट–08/स्पेशल कम्पोनेन्ट/2007–08 दिनांक 8 जून, 2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु उद्योग निदेशालय के आगणनागत पक्ष में अनुदान सं0 30 के अन्तर्गत अनु0 जाति/जनजाति कम्पोनेन्ट के अधीन जिला योजना, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला योजनान्तर्गत रू0 2,40,000/– तथा अनुदान सं0 31 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत रू0 60,000/– अर्थात कुल रू0 3,00,000/– (रूपये तीन लाख मात्र) की धनराशि को संलग्न विवरणानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की भी राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि व्यय उन्हीं मदों में किया जाय जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2008 तक उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक 31.03.2008 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

4– शासनादेश की शर्तों का अनुपालन न करने का समस्त दायित्व विभागाध्यक्ष एवं सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी का ही माना जायेगा।

5— स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा ट्राइबल सब प्लान की योजनाओं के लिये नियोजन विभाग द्वारा मात्राकृत परिव्यय के अनुसार एवं जिला नियोजन अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित परिव्यय/योजनाओं के अनुरूप ही व्यय किया जायेगा। अनुमोदित परिव्यय से अधिक व्यय करने पर समस्त दायित्व सम्बन्धित जनपदीय नोडल अधिकारी का ही होगा। किसी भी दशा में उपलब्ध धनराशि से अधिक व्यय न किया जाय।

6— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु अनुदान संख्या–30 एवं 31 के संलग्नक में दिये गये विस्तृत सुसगत लेखाशीर्षक की प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 346/XXVII(2)/2007 दिनांक 31 अगस्त, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीया,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 4117(1)/VII-2/171–उद्योग/2006, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
6. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2
10. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या 4117/VII-2/171–उद्योग/2006, दिनांक 05 सितम्बर, 2007 का संलग्नक।

अनुदान संख्या–30

(धनराशि लाख रू0 में)

2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग–00

आयोजनागत–102–लघु उद्योग–02 अनु0जाति/जनजाति कम्पोनेन्ट के अधीन जिला योजना–03–उद्यमिता विकास प्रशि0कार्यक्रम (जिला योजना)

20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता ———————————— 2.40

अनुदान संख्या–31

2851– ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग–00

आयोजनागत–102–लघु उद्योग–01–अनु0 जाति उप योजना–03–उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता———————————— 0.60

योग: 3.00

(रू0 तीन लाख मात्र)

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)

अपर सचिव।